# NIA मानव तस्करी सिंडिकेट की जाँच करेगी

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने मानव तस्करी के एक गिरोह की** जाँच के तहत छह राज्यों में 22 स्थानों पर छापे मारे, जो युवाओं को **साइबर धोखाधड़ी** में शामिल कॉल सेंटरों में काम करने के लिये लुभाता है।

## मुख्य बिंदु

- **ये तलाशी बिहार, उत्तर प्रदेश,** दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में की गई।
    - इसकी उत्पत्ति बिहार के गोपालगंज में दर्ज एक पुलिस रिपोर्ट से हुई है, जिसमें एक संगठित सिंडिकेट शामिल है जो नौकरी दिलाने के बहाने **भारतीय युवाओं को विदेश में तस्करी के लिये ले जाता है।**
- तस्करी के माध्यम द्वारा लाए गए लोगों को **फर्जी कॉल सेंटरों में काम करने के लिये मज़बूर किया जाता था।** ये कॉल सेंटर साइबर धोखाधड़ी के काम में संलिप्त थे।
- **मानव तस्करी:**
    - यह **लोगों के अवैध व्यापार और शोषण को संदर्भित करता है**, आमतौर पर जबरन श्रम, यौन शोषण या अनैच्छिक दासता के प्रयोजनों के लिये।
    - इसमें शोषण के उद्देश्य से **धमकी, बल, दबाव, अपहरण, धोखाधड़ी या छल** के माध्यम से **व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय या प्राप्ति शामिल है।**

## राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)

- **परिचय:**
    - NIA **भारत की केंद्रीय आतंकवाद निरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी** है, जिसे **भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जाँच करने का अधिकार है। इसमें** शामिल हैं:
        - विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
        - परमाणु एवं नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध।
        - **हथियारों, नशीले पदार्थों और जाली भारतीय मुद्रा** की **तस्करी** तथा सीमा पार से घुसपैठ।
        - **संयुक्त राष्ट्र**, उसकी एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों **की अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और प्रस्तावों को लागू करने के लिये बनाए गए वैधानिक कानूनों** के तहत अपराध।
    - इसका गठन **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था।**
    - **एजेंसी को गृह मंत्रालय की लिखित घोषणा के** तहत **राज्यों से विशेष अनुमति के बिना** राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जाँच करने का अधिकार है।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nia-to-probe-human-trafficking-syndicate